वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण प्रार्थना पत्र संख्या– 41/2019
दीवान हाउसिंग फाईनेन्स बनाम राम गोपाल वगैरह

A5
1

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 41/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर. पी.एम. रोड़, फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।		1. राम गोपाल बीरबल राम विश्नोई, निवासी–खसरा नम्बर 264, प्लॉट पार्ट 1(बी), कावरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 एवं निवासी –खसरा नम्बर 264, वार्ड नम्बर 02, कावरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 एवं कार्यालय पता– डवलपमेन्ट ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक जायल, डी.पी.ई.पी. नागौर (राजस्थान) 341001 2. श्रीमति पुष्पा देवी राम गोपाल विश्नोई, निवासी –खसरा नम्बर 264, वार्ड नम्बर 02, कावरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 एवं निवासी–खसरा नम्बर 264, प्लॉट पार्ट 1(बी), कावरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001

आदेश दिनांकः– 01/07/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये ऋण करार संख्या 00000344 के द्वारा 2,67,189/–(अक्षरे दो लाख सडसठ हजार एक सौ उनयासी रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 21.04.2009 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति–प्लाट पार्ट 1 (बी), खसरा नम्बर 264, कावरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट अर्थात 125 वर्गगज हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार हैं– उत्तर में इसी खसरे की जमीन, दक्षिण में 30 फुट रास्ता, पूर्व में इसी खसरे का अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में पेमाराम का प्लॉट पार्ट ए स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.12.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 1,93,144/– (अक्षरे एक लाख तेरानवें हजार एक सौ चवालीस रुपये मात्र) दिनांक 25.12.2018 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि 1,93,144/– (अक्षरे एक लाख तेरानवें हजार एक सौ चवालीस रुपये मात्र) दिनांक 25.12.2018 तक जमा करना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी व जमानत्ती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner

A5/2

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण– सम्पति–प्लाट पार्ट 1 (बी), खसरा नम्बर 264, काबरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट अर्थात 125 वर्गगज हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में इसी खसरे की जगीन, दक्षिण में 30 फुट रास्ता, पूर्व में इसी खसरे का अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में पेमाराम का प्लॉट पार्ट ए स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से 2,67,189/–(अक्षरे दो लाख सडसठ हजार एक सौ उनयासी रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 21.04.2009 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति–प्लाट पार्ट 1 (बी), खसरा नम्बर 264, काबरा डेयरी के पीछे, संजय कॉलोनी, नागौर, (राजस्थान) 341001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट अर्थात 125 वर्गगज हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में इसी खसरे की जमीन, दक्षिण में 30 फुट रास्ता, पूर्व में इसी खसरे का अन्य प्लॉट एवं पश्चिम में पेमाराम का प्लॉट पार्ट ए स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner